उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक C/6380/ जबलपुर, दिनांक 12/12/2022
दो–14–9/83 भाग–चार

श्री अश्वनी कुमार वर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यायल, भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्था साफ्टेक कम्प्यूटर सेन्टर, जबलपुर से पी.जी.डी.सी.ए" डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6381/ जबलपुर, दिनांक 12/12/2022
दो–14–9/83 भाग–चार

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम–पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

4. श्री अश्वनी कुमार वर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

9/11/22

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)